न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ शेखावाटी, सीकर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः–सुश्री निधि सिंह (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्याः–18/19 दिनांकः–27.09.2019

1. सुरेश कुमार पुत्र श्री हरलाल जाति जाट निवासी ग्राम सदीनसर तहसील रामगढ शेखावाटी जिला सीकर राजस्थान।

.............प्रार्थी

बनाम

1. पटवारी पटवार हल्का तिहावली तहसील रामगढ शेखावाटी जिला सीकर राजस्थान।
2. तहसीलदार तहसील रामगढ शेखावाटी।

........अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अ.धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः– अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश शीला

–:निर्णयः–

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी की पैतृक कृषि भूमि वाके ग्राम सदीनसर पटवार हल्का तिहावली तहसील रामगढ शेखावाटी में अवस्थित जिसका खसरा नं. 139 रकबा 6.15 हैक्टयर में प्रार्थी का 1/7 हिस्सा है।

प्रार्थी के पिता हरलाल की मृत्यु के पश्चात विरासत के नामान्तरकरण प्रार्थी के भाई नन्दलाल ने प्रार्थी का नाम सहवन से सुरेश कुमार के स्थान पर महेश कुमार गलत रूप से दर्ज करवा दिया तथा ग्राम पंचायत ने भी प्रस्ताव संख्या 1 को बैठक दिनांक 21.01.2016 को प्रार्थी का नाम प्रार्थी के भाई नन्दलाल के लिखे अनुसार महेश कुमार गलत रूप से दर्ज कर दिया, जबकि प्रार्थी का समस्त लोक दस्तावेज में प्रार्थी का नाम सुरेश कुमार अंकित है। जो कि गलत होने से प्रार्थी उसे संशोधन करवाने का अधिकारी है।

प्रार्थी का नाम समस्त अभिलेखों में प्रारम्भ से ही सुरेश कुमार चला आ रहा है तथा परिवार के सदस्य घर पर प्रार्थी को महेश कुमार के नाम से पुकारते है उसी के अनुसार प्रार्थी के भाई ने प्रार्थी का नाम महेश कुमार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवा दिया इसलिए प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड में महेश कुमार के स्थान पर सुरेश कुमार करवाने का अधिकारी है। विवादित आराजी के अन्य सह खातेदारान के खिलाफ कोई रिलिफ नही चाहने के कारण अन्य सह खातेदार को प्रार्थना पत्र में पक्षकार संयोजित नही किया गया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। तहसीलदार रामगढ शेखावाटी ने जबाब पेश कर कथन किया है कि विवादित आरजी खसरा नम्बर 139 रकबा 6.15 हैक्टैयर जरिये नामान्तरकरण संख्या 12 दिनांक 21.11.2016 में विरासत से हरलाल पुत्र खुमाणाराम के स्थान पर जगदीश, नन्दलाल, महेश कुमार पिता हरलाल व गीता, दुर्गा, कमला पुत्रियां हरलाल जानकी देवी पत्नि हरलाल जाति जाट निवासी सदीनसर दर्ज है। नामान्तरकरण में सरपंच ग्राम पंचायत तिहावली के द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र में सुरेश कुमार पुत्र हरलाल के स्थान पर महेश कुमार पुत्र हरलाल दर्ज है तथा इसी आधार पर नामान्तरकरण दर्ज हुआ है। प्रार्थी के अन्य समस्त लोक दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम सुरेश कुमार ही दर्ज है। जानकारी के अनुसार वादी सुरेश कुमार पुत्र हरलाल पुत्र खुमाणाराम के नाम से पहचाना जाता है, तथा मृतक खातेदार हरलाल पुत्र खुमाणाराम के महेश कुमार के नाम का कोई पुत्र नही है। अतः प्रार्थी का नाम महेश कुमार से सुरेश कुमार संशोधित किया जाना उचित है।

(निधि सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ शेखावाटी

बहस वकील प्रार्थी की सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत 2073 –76 के अनुसार विवादित आराजी मृतक हरलाल के नाम दर्ज थी। नामंतरकरण स्वीकृति के समय मृतक के उत्तराधिकारी सुरेश कुमार का नाम सजरा में ग्राम पंचायत तिहावली द्वारा महेश कुमार दर्ज

Scanned by CamScanner

दिया गया। तदनुसार नामान्तरकरण में महेश कुमार पुत्र हरलाल दर्ज हो जाने के कारण राजस्व अभिलेख जमाबंदी 2074–77 में भी तदनुसार अंकन दर्ज हो रहे हैं। प्रार्थी द्वारा महेश कुमार के स्थान पर अपना वास्तविक नाम सुरेश कुमार दर्ज करने का अनुरोध किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र, पासपोर्ट संख्या पी–13715 व अन्य दस्तावेजों से जाहिर होता है कि मृतक हरलाल का उत्तराधिकारी सुरेश कुमार है। तहसीलदार की रिपोर्ट से जाहिर होता है कि राजस्व अधिकारियों द्वारा सजरा ग्राम पंचायत के अनुसार ही नामान्तरकरण कार्यवाही दर्ज करते हुए राजस्व अभिलेख में अंकन किए गए हैं। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से प्रार्थी का क्लेम साबित होता है, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

–:आदेशः–

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अ. धारा 136 एल. आर. एक्ट स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार रामगढ़ शेखावाटी विवादित कृषि भूमि खसरा नम्बर 139 रकबा 6.15 हैक्टेयर वाके ग्राम सदीनसर पटवार हल्का तिहावली तहसील रामगढ शेखावाटी में जरियें संशोधन प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख में सुरेश कुमार उर्फ महेश कुमार पुत्र स्व. हरलाल के नाम दर्ज करने की कार्यवाही करें।

(निधि सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ शेखावाटी, सीकर

निर्णय आज दिनांक 27.09.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(निधि सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ शेखावाटी, सीकर

Scanned by CamScanner